(41)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

अपील प्रकरण कमांक 1159–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 8–3–2016 पारित द्वारा न्यायालय आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल, प्रकरण कमांक 113/अपील/2014–15.

.....

मोहरबाई पति स्व0सीताराम
निवासी ग्राम बैरागढ चीचली तहसील हुजूर,
जिला भोपाल म0प्र0

..... अपीलार्थी

विरूद्ध

1–मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला भोपाल
2–तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल

.....प्रत्यर्थीगण

.....

श्री के0के0द्विवेदी, अधिवक्ता–अपीलार्थी
श्री बी0एन0त्यागी, शासकीय अधिवक्ता–प्रत्यर्थीगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 21/8/17 को पारित)

यह अपील, अपीलार्थी द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 44 के अंतर्गत आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08–03–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि कलेक्टर द्वारा प्रकरण कमांक 1/अ–59/2004–05 में दिनांक 23–3–2005 को आदेश पारित कर ग्राम बैरागढ़ चीचली स्थित भूमि सर्वे कमांक 21, 22 व 23 कुल रकबा 2.53 हेक्टेयर की नोईयत सेवा भूमि से आबादी की जाकर आबादी के लिये सुरक्षित रखी गई । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर आयुक्त द्वारा दिनांक 8–3–2016 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) प्रश्नाधीन भूमि अपीलार्थी के पूवर्जो को वर्ष 1934 में आवंटित की गई थी, तब से निरन्तर उनके पूर्वजों के पश्चात् उसके नाम नामान्तरण हुआ है । इस प्रकरण में प्रश्नाधीन भूमि माफी के रूप अपीलार्थी के पूर्वजों को प्राप्त हुई है, अतः संहिता के लागू होने पर उसे भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त हो गये है ।

(2) बिना किसी कारण के प्रश्नाधीन भूमि से अपीलार्थी का नाम हटाकर शासन दर्ज करने में कलेक्टर द्वारा अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है ।

(3) कलेक्टर द्वारा बिना आवेदक को सुनवाई का अवसर दिये एकपक्षीय तौर से प्रश्नाधीन भूमि की नोईयत परिवर्तन कर आबादी के रूप में सुरक्षित रखने का आदेश पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

(4) वर्ष 1934 से प्रश्नाधीन भूमि पर अपीलार्थी को प्राप्त होने के कारण संहिता की धारा 158(1)(ग) के अन्तर्गत उसे भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त हो गये है।

(5) अपीलार्थी की ओर से आयुक्त के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत किये गये थे जिनसे स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि अपीलार्थी के स्वत्व स्वामित्व की भूमि है । इसके बावजूद भी प्रश्नाधीन भूमि शासकीय घोषित करने में त्रुटि की गई है ।

तर्क के समर्थन में 2011 आरएन 197 का न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

4/ प्रत्यर्थीगण शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के सन्दर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि सर्वे नम्बर 585 आबादी के लिये घोषित नहीं होकर केवल सर्वे नम्बर 21, 22 व 23 ही आबादी घोषित किये गये हैं । उक्त भूमि को आवेदिका द्वारा भी सेवा भूमि माना गया है। शासन को सेवा भूमि वापिस लेने का अधिकार है, जिसे शासकीय घोषित करने में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । अतः अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षो में हस्तक्षेप का कोई आधार इस अपील में नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08–03–2016 स्थिर रखा जाता है । अपील निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर